

District Registry Office, Gaya

Non Encumbrance Certificate

प्रमाण पत्र सं० 1536

RTPS No.:-
030119351002201555

श्री श्री VINOD KUMAR ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित प्रमाण पत्र के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अवमारों का विवरण प्रमाण-पत्र में दर्शाया गया है कि आवेदन में वर्णित सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवमारों के बारे में नदी 1 में आप उससे संबंधित अनुक्रमणिका नं० 01/01/1990 से नं० 30/04/2022 तक तलाशी की गयी और इसकी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवमारों का पता चला है-

| जमा संख्या | कार्यालय | अंचल | मौजा/वाड़ नं० | खाता खसरा रकबा | दस्तावेज का प्रकार | मूल्य | जिल्द संख्या | पृष्ठ सं० | पृष्ठ सं० |
|------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------|-----------|-----------|
| | GAYA SADAR | MANPUR 312 | SIKAHAR | 69n 183n 15 decimal | | 0 | | | |

इस में प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त संव्यवहार और अवमारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाला कोई अन्य संव्यवहार और अवमार का पता नहीं चला है। निम्नलिखित व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण पत्र तैयार किया -
नाम - MAZHAR ALAM
UAC

प्रमाण पत्र के संव्यवहार और प्रमाण पत्र की जांच निम्नलिखित व्यक्ति ने की :-

नाम - ANIL KUMAR
UAC

कार्यालय -

District Registry
Office, Gaya

तारीख -

07/05/2022

टिप्पणी-

1. इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहार और अवमार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा तथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया है, तो इन दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (ट्रांजेक्शन) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणिकाओं (इण्डेक्स) की प्रविष्टियों देखना चाहते हो तो अथवा जो उनका पता करना चाहते हो या अथवा विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवमारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करना पर दस्त और अनुक्रमणिका उनके सामने रख दी जायेंगी।

3. किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाश अपने भरसक सावधानों से की है। फिर भी प्रमाण-पत्र में दिख गये तलाशी परिणाम की किराी भूल के लिए किराी भी तरह की जिम्मेवारी नहीं होगी।

4. और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है इसलिए उसके द्वारा दूँडे गये ऐसे संव्यवहारों और अवमारों के लिए किसी भी तरह का कार्यालय जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

पत्रांक - 2389

दिनांक - 07/05/2022

शाखा प्रबंधक
आलोक में प्रेषित।

INDIAN BANK BRANCH OFFICE, GAYA

के पत्र दिनांक 05/05/2022

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

District Registry Office, Gaya

Non Encumbrance Certificate

प्रमाण पत्र सं 1537

RTPS No.:-
030119351002201554

श्री श्री RAJEEV KUMAR MEHTA ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित प्रमाण पत्र के संबंध में निम्नलिखित संव्यवहारों और अवधारों का विवरण प्रमाण पत्र दिया जाय।
एनहार प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में उल्लिखित संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवधारों के बारे में वही 1 में और उससे संबंधित अनुक्रमणिका नं 01 01 1990 से 30 04 2022 तक तलाशी की गयी और इसकी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवधारों का पता पता है-

| क्रम संख्या | सामान्य | अंचल | मौजा/वार्ड नं० | खाता | खेसरा | रकबा | दस्तावेज का प्रकार | मूल्य | जिल्द संख्या | पृष्ठ सं | पृष्ठ तक | वर्ष |
|-------------|---------|--------|----------------|------|-------|------------|--------------------|-------|--------------|----------|----------|------|
| 1 | GAYA | MANPUR | SIKAHAR | 69n | 183n | 15 decimal | | 0 | | | | |

मैंने भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवधारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाला कोई अन्य संव्यवहार और अवधार का पता नहीं पता है। निम्नलिखित व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण पत्र तैयार किया :-

नाम - MAZHAR ALAM

पता

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जाँच निम्नलिखित व्यक्ति ने की -

ANIL KUMAR
UDC

District Registry
Office, Gaya

तारीख -

07/05/2022

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी-

- इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा तथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिया गया विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया है, तो इन दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (टाइकसन) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।
- निकास अधिनियम की धारा-57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इण्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हैं तो अथवा जो उनका पतिव्रिधि करना चाहते हैं तो अथवा निम्न लिखित संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करना और अनुक्रमणी उनके सामने रख दी जायेगी।
- किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाश अपने भरसक साक्ष्यानी से की है। फिर भी प्रमाण पत्र में दिया गया तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह की जिम्मेवारी नहीं होगी।
- और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है इसलिए उसके द्वारा दूँडे गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों के लिए किसी भी तरह का प्रमाणित जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

क्रमांक - 2388

दिनांक - 07/05/2022

शाखा प्रबंधक, INDIAN BANK, BRAHMECHHUR, GAYA के पत्र दिनांक 05/05/2022
आलोक में प्रेषित।

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर